

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/176

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-राजेश सुवालका
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 110/2021 (शीशपाल बनाम भंवरीदेवी वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, राजेश सुवालका, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.02.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2023/1174 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2024 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम मलसीसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1158/726 रकबा 1.1890 है0 भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	शीशपाल पुत्र झाबरमल जाति मेघवाल निवासी सुलतानपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं	1158/726 मी	0.1394	बा-2	0.42
2	भंवरी देवी पत्नी मूगां जाति नायक सा. देह खातेदार	1158/726	0.0859	गै0मु0 आवासीय	
			0.9637	बा-2	2.89
		किता-1	1.0496	-	2.89

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.02.2024 को जारी की गई।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर